

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र, बस्ती, अम्बेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, कानपुर नगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 16 मई, 2020

विषय:- नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के शासनादेश सं०-204/एक-11-2020-रा०-11, दिनांक 28.03.2020, एवं शासनादेश सं०-205/एक-11-2020-4(जी)/2015, दिनांक 29.03.2020 तथा इस सम्बन्ध में निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु जनपदों में संचालित हो रहे अस्थायी आश्रय स्थलों, आम रसोईघरों (common kitchens) व अन्य स्थानों पर भी पात्र व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार भोजन सामग्री/भोजन/फूड पैकेट का वितरण कराने व अन्य कार्यों हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में **रु० 08,25,00,000/-** (रुपये आठ करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु० लाख में)

क्रमांक	जनपद का नाम/ पत्र संख्या व दिनांक	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	वर्तमान में स्वीकृत धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सोनभद्र संख्या-1068 दिनांक-14.5.2020	200.00	75.00	275.00
2	बस्ती संख्या-656 दिनांक-09.5.2020	200.00	75.00	275.00
3	अम्बेडकरनगर संख्या-663 दिनांक-13.5.2020	300.00	150.00	450.00
4	लखीमपुर खीरी संख्या-2767 दिनांक-15.5.2020	300.00	150.00	450.00
5	सिद्धार्थनगर संख्या-शून्य दिनांक-13.5.2020	200.00	150.00	350.00
6	कानपुर नगर संख्या-2323 दिनांक-12.5.2020	500.00	225.00	725.00
योग		1700.00	825.00	2525.00
				(रुपये आठ करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

 16/11/2020
(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

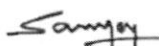
संख्या-227(1)/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-3, तददिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 9- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 10- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 12- गार्ड फाइल।


16.5.2020

आज्ञा से,


(संजय गोयल)
सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-16/05/2020

प्रेषण संख्या:- 227
आवंटन आदेश संख्या:- 028-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	22500000 173500000	22500000 173500000
2	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7500000 128500000	7500000 128500000
3	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 147000000	15000000 147000000
4	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 136000000	15000000 136000000
5	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7500000 129500000	7500000 129500000
6	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 146000000	15000000 146000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	82500000 860500000	82500000 860500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ करोड़ पच्चीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छियासी करोड़ पाँच लाख

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन